न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या 71/2007

प्रार्थी

1. तहसीलदार (भूमिधारक) पाली

बनाम अप्रार्थीः—

1. श्री खंगारराम पुत्र श्री पोकरराम जाति मेघवाल निवासी सेसली हाल पाली
2. श्रीमति दरियाव कंवर पत्नि श्री बद्रीलाल जाति सरगरा निवासी पैकेज कालानी पाली।
3. श्री प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति हरिजन निवासी 139 बापु नगर विस्तार पाली
4. श्री अशोक कुमार पुत्र हस्तीमल, जाति जैन निवासी पाली
5. श्रीमती सन्तोषलता पत्नि श्री नरेन्द्र कुमार जाति जैन, निवासी पाली
6. श्री तखत सिंह पुत्र श्री बद्री सिंह जाति राजपुत निवासी पाली
7. श्री सम्पतराज पुत्र श्री सूरतराज जाति जैन निवासी जोधपुर
8. श्री महावीरचन्द्र पुत्र श्री सुमेरमल, जाति जैन निवासी जोधपुर
9. मृतक राजेन्द्र पुत्र श्री नाथिया के कायम मुकाम
   - 9/1 श्री भीमाराम पुत्र श्री राजेन्द्र सॉसी निवासी नयागांव पाली
   - 9/2 ज्ञानूडी पुत्री राजेन्द्र पत्नि श्री मोहन निवासी भदवासिया फाटक के पास जोधपुर
   - 9/3 पुष्पा पुत्री राजेन्द्र पत्नि हरिराम साकिन जाजीवाल जिला जोधपुर

उपस्थितिः—

1. श्री ओमप्रकाश दाधिच, नायब तहसीलदार (सरकारी पैरोकार)

वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

—:आदेशः— दिनांक 31.10.2019

1. प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद पाली चक II खसरा नंबर 547/1749 रकबा 1.05 बीघा किस्म बारानी प्रथम भूमि अप्रार्थी सख्या एक लगाय

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

नौ की संयुक्त भुमि है। अप्रार्थीगण ने एक राय होकर उक्त कृषि भुमि पर बिना सक्षम अधिकारी की आज्ञा एवं भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिर्वतन करवाये आवासीय कालोनी का प्लान बनाकर विभिन्न लोगो को भुखण्ड के रूप मे हस्तान्तरण कर रहे है एवं मौके पर कृषि भूमि का अकृषि उपयोग किया जा रहा है। उक्त भुमि पाली शहर के मास्टर प्लान के अन्दर स्थित होने से कृषि भूमि के संबंध मे वरिष्ठ नगर नियोजक की किसी प्रकार की भी राय प्राप्त नहीं की है और भूमि मास्टर प्लान अनुसार ही संपरिवर्तन की जा सकती है। इस प्रकार पाली शहर के मास्टर प्लान मे आरक्षित उपयोग के विपरित उपयोग मे ली जाने से आम जन के हितो पर भी कुठुराघात होगा एवं नगर के विकास मे बाघा उत्पन्न कर रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि का मौके पर अकृषि प्रयोजन से उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन हुआ है। पाली चक ॥ के खसरा नम्बर 547/1749 रकबा 1.05 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि को सिवाय चक घोषित किया जावे।

2. प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी के नाम धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र अ नियम 60 के तहत नोटिस जारी किया गया तथा अप्रार्थीगण संख्या 1,4,5,6,7,8 व 9 बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय मे उपस्थित नहीं हुये इस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.09.2011 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी थी तथा अप्रार्थी 2 व 3 की ओर वकील हिम्मतसिंह राजपुरोहित ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रतिवादी संख्या 02 श्रीमती दरियाव कंवर ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूमिधारी तहसीलदार पाली ने जो आवदेन धारा 177 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत पेश करना बताया लेकिन आवेदन में बेदखली का आधार धारा 177 (क)(ख) के कौनसे उपबंध का किस तरह से खातेदार से उल्लघन किया है यह बात दर्शित नही की है। यह भी नही दर्शाया है कि किस खातेदार या अन्य अप्रार्थी ने कौनसी शर्त का उल्लघन किया है व किस हैसियत से किया है तथा कब किया हैं। इन तथ्यों का उल्लेख नहीं होने से प्रार्थी का आवेदन अपूर्ण स्थिति मे होने से चलने योग्य नहीं है। कृषि भूमी को अकृषि तौर पर कैसे काम में लिया है उसका भी कोई उल्लेख नहीं है ओर न ही जोत संबंधी कौनसी शर्त का उल्लेख किया है इसका ही हवाला है ऐसी सुरत मे भुमिधारी तहसीलदार का आवेदन पोषणीय नहीं है। एक तरफ तो राज्य सरकार की मंशा कृषि भुमि को अकृषि काम मे लेने पर उसको नियमित करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 मे (ख) उपबंध जोडा है जिससे जो भी नगर पालिका की सीमा मे जो कृषि भूमि आती है और उसको आवासीय या वाणिज्यक जो भी उपयोग मे ले लिया है उसको भूमिधारी तहसीलदार प्राधिकृत अधिकारी के यहां आवेदन कर उस भूमि को संबंधित स्थानीय निकाय में निहित कर संबंधित हक रखने वाले व्यक्ति के पक्ष मे जिनके द्वारा पट्टा जारी किया जायेगा। ऐसी कानूनी प्रावधान है फिर भी भूमिधारी ने श्रीमान के समक्ष धारा 90(ख) के तहत आवेदन नही करके धारा 177 आर.टी.

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

एक्ट मे आवेदन किया है जो सरासर अप्रार्थी को परेशान करने एवं राज्य सरकार की पट्टा के संबंध मे नई नीति के विपरित आवेदन किया है जो आवेदन केवल लोकर नीति के विरूद्ध है बल्कि राज्य सरकार को भी जन धन की हानी पहुचाने का कृत्य किया है जो आवेदन काबिल खारिज के है। जिस कारण प्रार्थी तहसीलदार, पाली को उक्त प्रार्थना पत्र को वाद मे परिवर्तित किये जाने का आदेश दिया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायासंगत है।

4. वादी द्वारा वाद के समर्थन मे शहादत पेश की गई जिसमे तत्कालीन पटवारी श्री जब्बरसिंह के बयान कलमबद्ध किये गये तथा बयान मे बताया कि ग्राम पाली चक II के खसरा नंबर 547/1749 रकबा 1.05 बीघा मे अप्रार्थीगण खंगारराम पुत्र पोकरराम जाति मेघवाल निवासी सेसली हाल पाली , श्रीमति दरियावकंवर पत्नि श्री बद्रीलाल जाति सरगरा निवासी पैकज कोलोनी, पाली, श्री प्रकाश पुत्र मांगीलाल जाति हरीजन निवासी 139 बापू नगर विस्तार, पाली, अशोक कुमार पुत्र हस्तीमल जाति जैन निवासी पाली, श्रीमति लता पत्नि नरेन्द्रकुमार जाति जैन निवासी पाली, तखतसिंह पुत्र बद्रीसिंह जाति राजपूत निवासी पाली, सम्पतराज पुत्र सुरतराज जाति जैन निवासी जोधपुर, महावीरचंद्र पुत्र सुमेरमल जाति जैन निवासी जोधपुर एवं राजेन्द्र पुत्र नाथीया जाति सांसी निवासी पाली द्वारा खातेदारी भूमि मे अकृषि उपयोग करने पर मेरे द्वारा खातेदार के विरूद्ध रिपोर्ट फर्द मौका सहित तहसीलदार साहब पाली को आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की थी। मेरी रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान् तहसीलदार साहब, पाली के द्वारा कुल 9 व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 177 आर.टी.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया गया है। जिसमे मे क्रम संख्या 1 से 9 खातेदार है।

5. बहस सुनी गई।

6. बहस के द्वौरान वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 अनुपस्थित।

7. सरकारी पैराकार ने बहस के द्वौरान निवेदन किया कि सरहद पाली चक II खसरा नंबर 547/1749 रकबा 1.05 बीघा मे वर्ष 2007 मे मेट्रो सिटी के नाम से प्लान बना कर कॉलोनी विकसित कर दी। तत्कालीन पटवारी श्री जब्बरसिह ने अपने बयान मे भी बताया कि खातेदारी भूमि मे अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना आवासीय कोलोनी का प्लान बनाकर विभिन्न लोगो को भूखण्ड के रूप मे हस्तांतरण करने एवं मौके पर कृषि भूमि का अकृषि कार्य होना बताया।

8. बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध कराये गये अभिलेख का अवलोकन करने के बाद पाया कि पटवारी श्री जब्बरसिह ने अपने बयान मे बताया कि खातेदारी भूमि मे अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाये बिना आवासीय कोलोनी का प्लान बनाकर विभिन्न लोगो को भूखण्ड के रूप मे हस्तांतरण करने एवं मौके पर कृषि भूमि का अकृषि कार्य होता है तथा मोका फर्द दिनांक 16.12.07 मे भी श्री मंशाराम पुत्र श्री केसाराम, श्री फारूख पुत्र श्री मांगू जी व श्री रमेश पुत्र श्री जयसिंह ने हस्ताक्षर किये तथा बताया कि उक्त कृषि भुमि पर अकृषि

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

कार्य कर रहे है। प्रतिवादीगण द्वारा यह सिद्ध नहीं कर पाये कि मौके पर कृषि भुमि पर क्या काम हो रहा है।

9. अतः वादी का वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार किया जाकर सरहद पाली चक II पटवार मण्डल पाली चक II स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 547/1749 रकबा 1.05 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर उक्त भूमि को राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है। तहसीलदार, पाली तत्काल उक्त भूमि का कब्जा राज्य पक्ष में प्राप्त कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। इस आदेश की प्रति तहरीर के साथ तहसीलदार, पाली को माफिक आदेश पालना करने हेतु प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर

यह आदेश आज दिनांक 31.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner